



Neutral Citation No.-2026:AHC:9939

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-32036 वर्ष 2025

गुलशेर आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: नीरज कुमार चौरसिया

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। आज दायर किए गए प्रत्युत्तर हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री नीरज कुमार चौरसिया, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री जय किशन चौरसिया को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा 2024 के अपराध संख्या-45 में धारा 302 भ०द०वि०, थाना-बुढाना, जिला: मुजफ्फरनगर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक किसी भी बच्चे को जन्म देने वाले सूचनाकर्ता के खिलाफ था, और उसने एक बच्ची को जन्म दिया था, जो घटना के समय लगभग 3 महीने की थी। बताया जाता है कि आवेदक ने घटना की तारीख, यानी 26.01.2024 को उसका गला घोट दिया था।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि गवाह साजिदा, जो आवेदक की पत्नी है, ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित करने के बाद लोक अभियोजक द्वारा जिरह की गई है। प्रस्तुत मामले में आवेदक को दोषी ठहराए जाने की कोई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संभावना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 26.01.2024 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. ततस्य विपरीत, राज्य के विधि अधिकारी ने इस आधार पर जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है कि आवेदक ने अपनी 3 महीने की बेटी की हत्या की है और यह एक खुला और बंद मामला है। आवेदक पर अपनी 3 महीने की बेटी की मृत्यु की परिस्थितियों की व्याख्या करने की जिम्मेदारी है, इस प्रकार, वह जमानत का हकदार नहीं है।

7. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक ने अपनी 3 महीने की बेटी की हत्या की है, मुझे आवेदक को जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता। जमानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, खारिज किया जाता है।

8. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 14, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)